Cms - 2022/282

14/22
14/11/22

रवारिज
14/11/2022

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत –जिला कलक्टर,–मुकाम – भरतपुर

थानाधिकारी थाना हाईवे मथुरा **बनाम** राज0 सरकार जरिये एपीपी

किस्म मुकदमा सुपुर्दगी/6 ए, गोवंश नम्बर ....14 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
14.11.22	प्रार्थी अनुपस्थित। एपीपी उपस्थित। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी सुपुर्दगार ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि पुलिस थाना हाईवे मथुरा में एफआईआर संख्या 125/22 धारा 379 आईपीसी से चोरी वाहन संख्या यूपी 85 बीटी 1697 केंटर दिनांक 30.01.2022 को ग्राम महोली से चोरी हुआ उक्त वाहन पुलिस थाना खोह जनपद भरतपुर में एफआईआर नम्बर 64/22 धरा 5/8 राज. गोवंशयी पशु नियम 1955 में आज्ञात बरामद हुआ है। उक्त वाहन को रिलीज किये जाने का निवेदन किया है। कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। थानाधिकारी खोह द्वारा उक्त वाहन से सम्बन्धित गोवंश अधिनियम की धारा 6ए के तहत कोई प्रकरण न्यायालय हाजा में पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में धारा 6ए प्रकरण के बिना प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी चलने योग्य नहीं रहता है। अतः प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी कार्यवाही इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। प्रकरण धारा 6ए प्राप्त होने पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी पेश करने के लिये स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखित दफ्तर हो। जिला कलेक्टर भरतपुर (राज.)	